प्रेस नोट दिनाँक-26.06.2022

(1). दिनाँक-25.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 26.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गया।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन मे अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन मे

(क). वरि0उ0नि0 श्री योगेश कुमार तिवारी थाना राजापुर तथा आरक्षी अंकित शुक्ला द्वारा अभियुक्त धनंजय पुत्र गोडेलाल नि0 गईला रोड कस्बा राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ तथा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोज पंजीकृत किया गया।

(ख). आरक्षी विपिन प्रताप एवं आरक्षी कामता सिंह थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त बृजेश सोनकर उर्फ बिट्टा पुत्र होरीलाल सोनकर निवासी कारखाना मुहल्ला कस्बा राजापुर चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोज पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 26.06.2022 को ''मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस'' के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलैन्द कुमार राय द्वारा नशे से बचने व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को शपथ दिलायी गयी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणधीन राजकमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रभारी सोशल मीडिया सेल श्री विजय सिंह, प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती सविता श्रीवास्तव, प्रभारी एलआईयू श्री सूर्यकान्त अरुण राय, प्रभारी डायल 112 श्री रामजीत यादव, वाचक श्री संतराम सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा थाना मानिकपुर में, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री हर्ष पाण्डेय द्वारा थाना पहाड़ी में तथा जनपद के समस्त थाना/चौकियों थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों को नशे से बचने व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में शपथ दिलायी गयी।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती शालू तिवारी पत्नी संतोष तिवारी निवासी ग्राम तरौहा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट द्वारा महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री संतोष तिवारी उसके साथ झगड़ा करते है तथा अपने साथ रखने में इंकार कर रहे है। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह एवं टीम द्वारा महिला की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पति से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति द्वारा भविष्य में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। पति-पत्नी की आपसी सुलह होने पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा दोनो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी महिला चौकी मऊ उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी तथा उनकी टीम द्वारा पति पत्नियों के आपसी झगड़ों को समाप्त कराकर पति-पत्नी के 02 जोडों में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धनों को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुनीता पत्नी राजू निवासी मैदाना थाना मऊ जनपद चित्रकूट एवं श्रीमती बच्ची देवी पत्नी राजेन्द्र निवासी सिकरो थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा महिला चौकी में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पतियों द्वारा उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर मारपीट की जाती है। महिला चौकी प्रभारी एवं टीम द्वारा महिलाओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पतियों से सम्पर्क करके उन्हें महिला चौकी बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पतियों द्वारा भविष्य में अपनी पत्नियों से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। दोनो जोडों के पति-पत्नियों की आपसी सुलह होने पर महिला चौकी प्रभारी द्वारा दोनो जोडों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

समझौता करवाने वाली टीमः-

1.महिला चौकी प्रभारी उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी

2. महिला आरक्षी शिवानी राय